कार्यालय जिला पंचायत गाजियाबाद।

पत्रांकः– ५५३ /नक्शा/जि0पं0गा0/2022–23 दिनांकः– 28.8.22

अनुज्ञा–पत्र

मुकेश कुमार एजुकेशनल बिल्डिंग,
खसरा संख्या 208
ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबास,
लोनी, गाजियाबाद।

मुकेश कुमार एजुकेशनल बिल्डिंग, द्वारा खसरा संख्या 208 ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबास के अदिनांकित पत्र के द्वारा उपरोक्त स्थल पर School हेतु नक्शे की स्वीकृति चाही गई है। भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल मे से Covered area सभी तल पर 1532.20 वर्ग मी0 मे इकाई का मानचित्र वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे उ0प्र0 गजट 27 अक्टूबर 2018 मे प्रकाशित सं0 157/23–02/2018–2020 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन उपरोक्त नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त स्थल पर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी।
2. किसी विकास कार्य के लिए जिला पंचायत कोई व्यय नही करेगी एवं परिवर्तन की दशा मे पुनः आवेदन करना होगा।
3. मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से तीन वर्ष के अन्दर निर्माण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा मे यह स्वीकृति स्वतः रदद हो जायेगी। निर्माणकर्ता को मानचित्र स्वीकृतिके लिए पुनः आवेदन करना होगा जिसके लिए नियमानुसार शुल्क जमा करना होगा।
4. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग मे लाया जायेगा, भवन का उपयोग किसी भी गैर कानूनी/अवैधानिक कार्य हेतु नही किया जायेगा।
5. अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिये गये शुल्क का 10 प्रतिशत जमा करना होगा।
6. इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी निम्नवतः सुनिश्चित की जायें–

क0 सं0	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्सट्रा हाई वाल्टेज लाईन	3.7+(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

7. सडक पर अथवा बैक लेन मे कोई रैम्प स्टैप्स नही बनाये जायेगें।
8. संस्था के द्वारा जल आपूर्ति एवं मल मूत्र एव बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं करनी होगी, जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नही होगा।
9. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा [illegible] सुरक्षा के अन्य सभी प्राविधान स्वामी द्वारा करने होगें। भवन मे उत्तर प्रदेश [illegible] सुरक्षा

RISE PUBLIC SCHOOL
Manager

Principal
RISE PUBLIC SCHOOL
Khasra No.208, Haqiqatpur
Urf Khudabas, Loni, G.ABAD

अधिनियम (6) 2005 राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार करना होगा।

10. भवन के प्रत्येक 300 वर्ग मी0 के भू–अच्छादन पर 1 रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा तथा प्रत्येक 1000 वर्ग मी0 भू–अच्छादन पर एक अतिरिक्त रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
11. सार्वजनिक भूमि/मार्ग पर भवन स्वामियों द्वारा किसी भी प्रकार का अतिकमण नही किया जायेगा।
12. लोक निर्माण विभाग/स्वामित्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही सामने की बाउन्ड्री वाल लोक निर्माण विभाग के अनुसार Road Widening छोडते हुए करनी होगी अन्यथा की दशा मे नक्शा स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
13. भविष्य मे भूमि के स्वामित्व/ चकबन्दी /अन्य विभाग एवं न्यायालय मे वाद होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी का होगा।
14. भवन का कुल कवर्ड एरिया 7769.75 वर्ग मी0 है, जिसकी अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर, सहायक श्रमायुक्त, श्रम विभाग गाजियाबाद मे स्वामी को नियमानुसार स्वयं जमा कराना होगा।
15. भवन निर्माण योग्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट की देख रेख मे कराया जायेगा एवं संरचना व स्पेसिफिकेशन्स की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की स्वंय होगी।
16. निर्माण कार्य करते समय आर्किटैक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों मे दर्शाये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य जरूरी बिल्डिंग उपनियम(जिला पंचायत) के अनुसार कराया जायेगा।
17. निर्माण कार्य आवागमन अवरूद्ध किये बिना पूर्ण किया जायेगा।
18. भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।
19. अन्य किसी <u>विभाग/प्राधिकरण</u> द्वारा नक्शा पारिकरण के सम्बन्ध में आपत्ति/विवाद की स्थिति मे आवेदनकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्त प्रतिबन्धों मे से किसी भी प्रतिबन्ध के उल्लंघन होने की स्थिति मे यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

पृष्ठांकन सं0:– /नक्शा/जि0पं0गा0/2022–23 तददिनांक:–

प्रतिलिपि–

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक श्रमायुक्त, श्रम विभाग गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजियाबाद।

Principal
RISE PUBLIC SCHOOL
Khasra No.208, Haqiqatpur
Urf Khudabas, Loni (GZB.)

RISE PUBLIC SCHOOL
Manager